राष्ट्रीय आरोग्य निधि

डाउन टू अर्थ, (05 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में सरकार ने विरल रोगों (rare diseases) के लिए एकमुश्त आर्थिक सहायता की घोषणा की है।
- स्थायी वित्त समिति ने इस विषय में एक प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।
- इस प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय आरोग्य निधि (Rashtriya Arogya Nidhi – RAN) नामक बहु-आयामी योजना के अंदर यह प्रावधान किया जाएगा कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन्हें विशेष विरल रोगों के उपचार के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाए।

विरल रोग क्या होता है?

- विरल रोग एक ऐसा रोग होता है जो जनसंख्या के एक छोटे प्रतिशत को ही होता है। इसे अनाथ रोग "orphan disease" भी कहते हैं।
- अधिकांश विरल रोग आनुवंशिक होते हैं और व्यक्ति के पूरे जीवन में चलते रहते हैं चाहे रोग के लक्षण तुरंत नहीं दिखते हों। यूरोप में विरल रोग उस रोग को कहा जाता है जो 2,000 नागरिकों में से एक को प्रभावित करता है।
- विरल रोगों में कई प्रकार के लक्षण होते हैं जो एक ही रोग से ग्रस्त रोगियों में अलग-अलग हो सकते हैं।
- भारत में जो विरल रोग सबसे अधिक प्रचलित हैं, वे हैं – हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल-सेल एनीमिया और बच्चों में प्राथमिक प्रतिरक्षा की कमी, ऑटो-इम्यून डिजीज, लाइसो-सोमल स्टोरेज डिसऑर्डर जैसे कि पोम्पे डिजीज, हिर्स्चस्प्रुंग डिसीज, गौचर डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हेमांगीओमास और मस्कुलर डिसस्ट्रोफी के कुछ रूप।

राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता क्यों?

- संविधान की धारा 21, 38 और 47 के अधीन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के महत्त्व को दर्शाया गया है।
- अतः यह सरकार की जिम्मेवारी है कि वह प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ विश्वसनीय और सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराए।

पोलावरम परियोजना

द हिन्दू, (05 Jan.)

संदर्भ

- गोदावरी नदी पर चल रही पोलावरम बहु-उद्देशीय परियोजना के तेजी से क्रियान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड (Central Board of Irrigation and Power – CBIP) पुरस्कार मिला है।
- आंध्र प्रदेश को यह पुरस्कार सर्वोत्कृष्ट जल संसाधन परियोजना क्रियान्वयन की श्रेणी के अंतर्गत "बेहतर योजना निर्माण, क्रियान्वयन और अनुश्रवण" के लिए दिया गया है।

क्या है?

- पोलावरम परियोजना एक बहु-उद्देशीय सिंचाई परियोजना है। यह बाँध गोदावरी नदी पर बनाया जा रहा है और यह आंध्र प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी गोदावरी जिलों में अवस्थित है।

- इस परियोजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले एवं पूर्वी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर एक बाँध का निर्माण चल रहा है।
- इस बाँध के लिए बनाया गए विशाल जलाशय के कुछ अंश छतीसगढ़ और ओडिशा राज्यों में भी पड़ते हैं।
- इस प्रयोजना के अधीन सिंचाई, पनबिजली एवं पेय-जल की सुविधा आंध्र प्रदेश के पूर्वी-गोदावरी, पश्चिमी-गोदावरी एवं कृष्णा जिले के अतिरिक्त विशाखापत्तनम को मुहैया की जायेगी।
- इस परियोजना के चलते 222 गाँवों के 1 लाख 88 हजार लोग विस्थापित हो गये हैं। इनमें से 1,730 लोगों का पुनर्वास किया जा चुका है।

संबंधित विवाद

- पोलावरम बहु-उद्देशीय परियोजना की स्थिति से सम्बंधित एक याचिका की सुनवाई के क्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को आदेश दिया था कि परियोजना से प्रभावित ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में जाकर जन-सुनवाई करे।
- केंद्र सरकार ने भी अपने उत्तर में कहा था कि वह इस प्रकार की सुनवाई करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त करने के लिए तैयार है।

आपत्ति क्यों?

- वर्ष 2014 में जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ तो पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा देते हुए उसकी रुपरेखा में परिवर्तन किया गया था।
- याचिकाकर्ता ने न्यायालय को बताया था कि क्योंकि बाँध की रूपरेखा बदल दी गई है और इसमें नए-नए अवयव जोड़े गये हैं इसलिए इसको इसके लिए नई पर्यावरणीय अनुमति लेनी चाहिए।

केन्द्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड (CBIP)

- केन्द्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड (CBIP) भारत सरकार की एक प्रमुख संस्था है जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी।
- यह बोर्ड ऊर्जा, जल संसाधन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों से जुड़े हुए देश के व्यावसायिक संगठनों, अभियंताओं और व्यक्तियों को आठ से अधिक दशकों से अपनी समर्पित सेवाएँ प्रदान करता है।

चक्रवात पाबुक

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, (06 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने चक्रवात पाबुक के लिए पीली चौकसी (yellow alert) जारी की है।
- हाल ही में थाईलैंड की खाड़ी और आस-पास के क्षेत्र के ऊपर चक्रवात पाबुक उत्पन्न हुआ है।

चार चरणों की चेतावनियाँ

- राज्य सरकार के अधिकारी किसी भी चक्रवात के लिए चार चरणों में चेतावनियाँ निर्गत करते हैं।
- पहला चरण – इस चरण की चेतवनी को चक्रवात पूर्व सावधानी (PRE CYCLONE WATCH) कहते हैं जो चक्रवात के 72 घंटे पहले निर्गत की जाती है।
- इसमें उत्तरी हिन्द महासागर में बनने वाले चक्रवातीय क्षोभ के बारे में चेतावनी देते हुए यह बताया जाता है कि यह तेज होते हुए और

उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का रूप लेते हुए तटीय पट्टी के मौसम को खराब कर सकता है।

- दूसरा चरण – इस चरण की चेतावनी को चक्रवात चौकसी (Cyclone Alert) कहा जाता है। यह चेतावनी तटीय क्षेत्रों में मौसम के खराब होना आरम्भ होने के 48 घंटे पहले निर्गत की जाती है।
- इसमें यह सूचना दी जाती है कि यह चक्रवात कहाँ बन रहा है और इसकी तीव्रता बढ़ रही है अथवा नहीं। साथ ही, इसकी दिशा बताते हुए यह सूचित किया जाता है कि किन तटीय जिलों में यह तबाही मचाएगा।
- मछुआरों, सामान्य लोगों, मीडिया और आपदा प्रबंधकों को भी सावधान किया जाता है।

- तीसरा चरण – इस चरण की चेतावनी को चक्रवात चेतावनी कहते हैं। यह चेतावनी तटीय क्षेत्रों में मौसम बिगड़ने के न्यूनतम 24 घंटे पहले जारी होती है। इस चरण में बताया जाता है कि चक्रवात किस स्थान पर समुद्र पार कर भूभाग पर पहुंचेगा।
- इस चरण में हर तीन घंटे पर चक्रवात की स्थिति, तीव्रता, भूखंड पर आने के समय, साथ-साथ होने वाली भारी वर्षा, प्रबल पवनों और आंधियों के बारे में भी सूचना दी जाती है।
- चौथा चरण – इस चरण को भूमिपात उपरान्त का परिदृश्य कहते हैं। चक्रवात के भूभाग पर आने के 12 घंटों के पहले यह चेतावनी दी जाती है। इसमें भी चक्रवात की दिशा, भूमिपात और मौसम के बारे में सूचना दी जाती है।

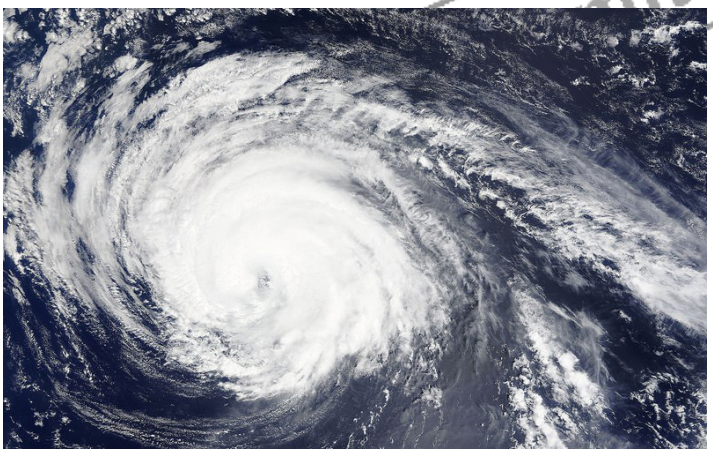

चक्रवात चौकसी के विभिन्न रंग

- 2006 के मॉनसून के बाद से चक्रवात से सम्बंधित चेतावनी के विभिन्न चरणों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की इच्छानुसार अलग-अलग रंग दे दिए गये हैं –
- चक्रवात चौकसी – पीला।
- चक्रवात चेतावनी – नारंगी।
- भूमिपात परिदृश्य – लाल।

ध्रुवीय भँवर (polar vortex)

पायनियर, लाइव मिंट, (06 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में मौसम विशेषज्ञों ने कहा है कि इस बार जनवरी और फरवरी में अमेरिका के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तथा साथ ही अधिकांश उत्तरी यूरोप में और एशिया के कुछ भागों में भयंकर ठण्ड पड़ेगी।
- इसका कारण ध्रुवीय भँवर (polar vortex) बताया जा रहा है।
- ज्ञात हो कि वर्ष 2004 में भी अमेरिका में मौसम बहुत ठंडा था और 2018 के फरवरी-मार्च में साइबेरिया से ठंडा मौसम चलकर पश्चिमी यूरोप और इंग्लैंड तक पहुँचा था और तबाही मचाई थी।
- इस ठंडे मौसम को उस समय 'Beast from the East' का नाम दिया गया था। इस घटना का दोषी भी ध्रुवीय भँवर को ही माना गया था।

क्या है?

- ध्रुवीय भँवर ध्रुवों के ऊपर बनने वाला
- निम्न-दबाव का एक चक्करदार शंकु होता है जो शरद् काल में सबसे प्रबल रहता है।
- इसका कारण ध्रुवीय क्षेत्रों और अमेरिका और यूरोप जैसे मध्य-अक्षांशीय क्षेत्रों के बीच बढ़ा हुआ तापान्तर होता है।
- ध्रुवीय समताप मंडल में चक्कर मारता है। समताप मंडल वायुमंडल की वह परत है जो भूमि से 10-48 किमी. ऊपर होता है और जिसके नीचे क्षोभमंडल होता है जहाँ कि जलवायु से सम्बंधित घटनाएँ सर्वाधिक होती हैं।
- जब यह भँवर सबसे अधिक शक्तिशाली होता है तो साधारणत:

यह एक ऐसी दीवार बना देता है जो मध्य- अक्षांशीय क्षेत्रों को ठंडी आर्कटिक हवाओं से बचाती है।

- परन्तु, कई बार ऐसे होता है कि ध्रुवीय भँवर (पोलर वर्टेक्स) छिन्न-भिन्न होकर कमजोर हो जाता है।
- ऐसा निचले वायुमंडल से ऊपर की ओर उठती हुई तरंग ऊर्जा के कारण होता है। ऐसा होने पर समताप मंडल तेजी से कुछ ही दिनों में गर्म हो जाता है।
- इस गर्मी के कारण ध्रुवीय भँवर और भी कमजोर हो जाता है और यह ध्रुवों से तनिक दक्षिण की ओर खिसक जाता है। कभी-कभी तो यह भँवर कई छोटे-छोटे भँवरों में बँट जाता है। इन छोटे भँवरों को "बहन भँवर" (sister vortex) कहते हैं।

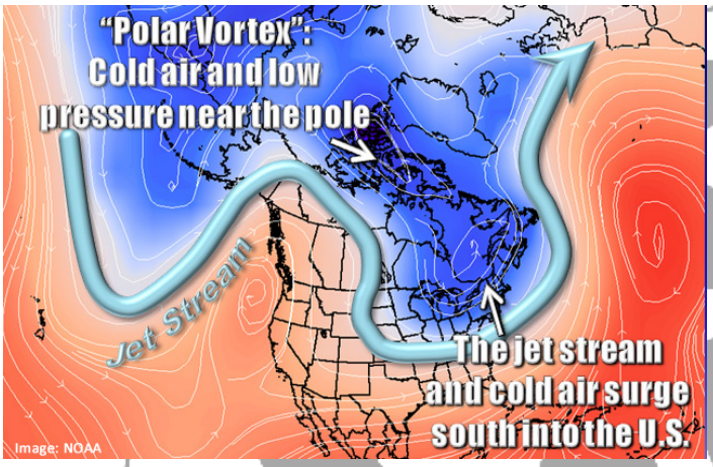

प्रभाव

- वायुमंडल में ऊपर ध्रुवीय भँवर के टुकड़े होने पर पूर्वी अमेरिका के साथ-साथ उत्तरी और पश्चिमी यूरोप में तापमान में गिरावट आ जाती है और वहाँ विकट सर्दी का मौसम छा जाता है।
- समताप मंडल के अचानक गर्म हो जाने से आर्कटिक भी गर्म हो जाता है। आर्कटिक गर्म हो जाने से उत्तरी गोलार्द्ध के मध्य-अक्षांशीय क्षेत्रों (पूर्वी अमेरिका सहित) में कड़ाके की ठण्ड पड़ती है।

केंद्र सरकार ने इसरो को 10,900 करोड़ रूपये आवंटित किये

लाइव मिंट, (06 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को अन्तरिक्ष क्षेत्र में विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 10,900 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं।
- इसरो के अध्यक्ष डॉ. के. सिवन द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने अगले चार वर्ष के दौरान चालीस उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित करने के लिए दस हजार नौ सौ करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में डॉ. के. सिवन ने कहा कि चंद्रयान तीन महीने के भीतर प्रक्षेपित कर दिया जाएगा।
- यह चंद्रमा के एक ऐसे हिस्से पर उतरेगा जो अब तक अनजान है। उन्होंने कहा कि भारत के मानवयुक्त गगनयान को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2022 तक भेजने की योजना है।

वर्ष 2018 में इसरो की प्रमुख उपलब्धियां

- 10 जनवरी, 2018 को प्रख्यात वैज्ञानिक के. सिवन द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की कमान संभालने के साथ भारत ने 12 जनवरी को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी-सी 40) के जरिए 28 विदेशी उपग्रहों के साथ 31 उपग्रहों का प्रक्षेपण और उन्हें सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया।
- इसरो द्वारा अप्रैल, 2018 को भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-2 की घोषणा की गई।
- इसरो ने जून, 2018 में वाहन उद्योग में उपयोग के लिए भारतीय उद्योग को गैर-विशिष्ट आधार पर अपनी लिथियम आयन सेल प्रौद्योगिकी को एक करोड़ रुपये में स्थानांतरित करने के अपने फैसले की घोषणा की थी।
- नवंबर, 2018 में देश के सबसे भारी प्रक्षेपण यान जियोसिनक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हिकल-मार्क-3 (जीएसएलवी-एमके-3) ने जीसैट-29 उपग्रह के साथ उड़ान भरी।
- वायुसेना के लिए सैन्य संचार उपग्रह जीसैट-7A का प्रक्षेपण किया गया। यह प्रक्षेपण दिसंबर, 2018 को किया गया।

चंद्रयान-2 के बारे में जानकारी

- चंद्रयान-2 भारत का चंद्रयान -1 के बाद दूसरा चंद्र अन्वेषण अभियान है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसन्धान संगठन (इसरो) ने विकसित किया है।

- अभियान को जीएसएलवी मार्क-3 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित करने की योजना है। इस अभियान में भारत में निर्मित एक लूनर ऑर्बिटर (चन्द्रयान) तथा एक रोवर एवं एक लैंडर शामिल होंगे।
- चंद्रयान-2 में भेजे जाने वाला ऑर्बिटर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चन्द्रमा की परिक्रमा करेगा।
- इस अभियान में ऑर्बिटर को पांच पेलोड के साथ भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। तीन पेलोड नए हैं, जबकि दो अन्य चंद्रयान-1 ऑर्बिटर पर भेजे जाने वाले पेलोड के उन्नत संस्करण हैं। चंद्रयान-2 को जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस और आधार

लाइव मिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, (06 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 06 जनवरी, 2019 को कहा कि सरकार जल्द ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ने को अनिवार्य करेगी।

- कानून एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम जल्द एक कानून लाने जा रहे हैं, जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ना अनिवार्य होगा।

आवश्यकता क्यों पड़ी?

- वर्तमान में, दुर्घटना करने वाला कसूरवार व्यक्ति मौके से भाग जाता है और डुप्लीकेट लाइसेंस हासिल कर लेता है। यह उसको सजा से बचने में मदद करता है।
- आधार से जोड़ने के बाद, आप भले ही अपना नाम बदल लें लेकिन आप बॉयोमीट्रिक्स नहीं बदल सकते हैं। आप न आंख की पुतली को बदल सकते हैं और न ही उंगलियों के निशान को।
- आप जब भी डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए जाएंगे तो प्रणाली कहेगी कि इस व्यक्ति के पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है और इसे नया लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए।
- इसलिए, आधार को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने से कसूरवार व्यक्तियों को दुर्घटना के दृश्य से बचने और फिर डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने से रोका जा सकेगा।
- मोटर वाहन लाइसेंस के साथ आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। आधार अनिवार्य होने से फर्जी लाइसेंस के जारी किए जाने पर रोक लगाई जा सकती है।
- इसके अलावा वाहन चालक द्वारा सुरक्षा नियम तोड़ने पर काटे गए चालान का भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। जिससे बिना चालान दिए वाहन चलाना कठिन होगा।

पृष्ठभूमि

- ड्राइविंग लाइसेंस भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक महत्त्वपूर्ण और वैध पहचान प्रमाण है।
- भारत में ड्राइविंग लाइसेंस पाने की प्रक्रिया बहुत अव्यवस्थित है, ऐसे में इसे बेहतर बनाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है।
- सरकार बेहतर ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल भी शुरू कर रही है जिसके द्वारा ड्राइवर्स को अच्छे से ड्राइविंग सिखाई जा सके।
- भारत में वर्तमान में 123 करोड़ आधार कार्ड जारी किए गए, 121 करोड़ मोबाइल फोन हैं, 44.6 करोड़ स्मार्ट फोन हैं, इंटरनेट के 56 करोड़ उपयोगकर्ता हैं।
- इसके अलावा ई कॉमर्स में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 में देश में डिजिटल तरीके से भुगतान करने में कई गुना इजाफा हुआ है।

70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स

बिजनेस टुडे, (07 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) द्वारा यह घोषणा की गई कि राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स को लांच किया गया है।
- भारत के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसमें शामिल

होने की पुष्टि कर दी है। स्कूल सिस्टम की ग्रेडिंग के लिए 70 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा।

इंडेक्स की विशेषताएं

- इस 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स द्वारा राज्यों की स्कूली शिक्षा प्रणाली की कमियों अथवा कमजोर पक्षों का आकलन किया जायेगा ताकि प्रत्येक स्तर पर शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा सकें।
- इस पहल द्वारा राज्यों को पता चल सकेगा कि वे किन मानकों पर पिछड़ रहे हैं तथा किन क्षेत्रों में उन्हें सुधार करने की जरुरत है।
- इस ग्रेडिंग इंडेक्स में अध्यापकों की रिक्तियां, लीडरशिप पोजीशन पर सीधी नियुक्ति, स्कूल की अधोसंचरना इत्यादि कुछ एक महत्वपूर्ण सूचक हैं।
- इस सूचकांक में कुल 1000 पॉइंट होंगे, प्रत्येक पैरामीटर के लिए 10-20 पॉइंट रखे जायेंगे।
- राज्यों द्वारा सुधार कार्यों के लिए निधि की व्यवस्था भी की जायेगी।
- केंद्र सरकार का मानना है कि इस प्रणाली से प्रत्येक राज्य के स्कूली शिक्षा स्तर का पता चल सकेगा और विभिन्न राज्यों को अपने प्रदर्शन को बेहतर करने का अवसर मिलेगा।
- इंडेक्स के अलावा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) को बेहतर बनाने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ असेसमेंट बनाने में एचआरडी मिनिस्ट्री की मदद कर रहा है।

अन्य निर्णय

- मंत्रालय ने कहा है कि वे एनसीईआरटी की पुस्तकों को अधिक संख्या में प्रकाशित करवाएंगे क्योंकि यह पाया गया है कि 2 वर्ष पूर्व तक भारत में केवल 2 करोड़ एनसीईआरटी पुस्तकें ही मौजूद हैं।
- इस वर्ष सरकार ने 6 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्कूलों के पाठ्यक्रम को भी देखा और जांचा जायेगा ताकि इसमें पढ़ाई के साथ-साथ शारीरिक शिक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए जरुरी ज्ञान शामिल हो।

पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण

इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, (07 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में केंद्र सरकार ने 07 जनवरी, 2019 को महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों (सामान्य वर्ग) के लिए सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है।
- केंद्र सरकार इसके लिए जल्द ही लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी।

संविधान में होगा संशोधन

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में संवैधानिक संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- सरकार इस संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक, 2018 (कांस्टीट्यूशन एमेंडमेंट बिल टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन -2018) लोकसभा में लेकर आएगी। इस विधेयक के जरिए संविधान की धारा 15 व 16 में संशोधन किया जाएगा।
- सवर्णों को दिया जाने वाला आरक्षण मौजूदा 50 फीसदी आरक्षण से अलग होगा।

आरक्षण की पात्रता के लोग सामान्य श्रेणी के वे लोग होंगे

- जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपये से कम हो
- जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम की खेती की जमीन हो
- जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो

- जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो
- जिनके पास 209 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो
- जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते थे

अनुच्छेद 15 के प्रावधान

- अनुच्छेद 15 समस्त नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 (1) के अनुसार राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ही अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) में सामाजिक और शैक्षिणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। यहां कहीं भी आर्थिक शब्द का प्रयोग नहीं है।
- ऐसे में सवर्णों को आरक्षण देने के लिए सरकार को इस अनुच्छेद में आर्थिक रूप से कमजोर शब्द जोड़ने की जरूरत पड़ेगी।

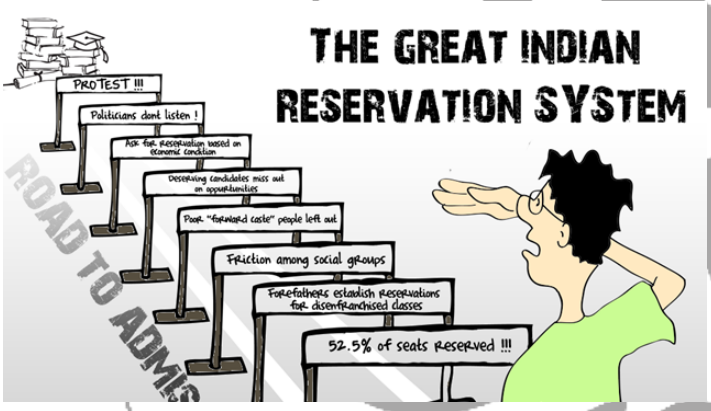

अनुच्छेद-16 के प्रावधान

- अनुच्छेद-16 सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है और राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है।
- किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उनके लाभार्थ सकारात्मक कार्रवाई के उपायों के कार्यान्वयन हेतु अपवाद बनाए जाते हैं, साथ ही किसी धार्मिक संस्थान के एक पद को उस धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जाता है।

भारत में आरक्षण का उद्देश्य और वर्तमान स्थिति

- आरक्षण की व्यवस्था केंद्र और राज्य में सरकारी नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं, चुनाव और शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई ताकि समाज के हर वर्ग को आगे आने का मौका मिले।
- इसके लिए पिछड़े वर्गों को तीन श्रेणियों - अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में बांटा गया।
- इस समय भारत में कुल 49.5% आरक्षण दिया जा रहा है जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:
- अनुसूचित जाति (SC):15%
- अनुसूचित जनजाति (ST): 7.5%
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 27%
- कुल आरक्षण: 49.5 %

किन्हें मिलेगा फायदा?

- केंद्र सरकार द्वारा सवर्णों को दिए जाने वाले 10% आरक्षण का लाभ केवल हिन्दू सवर्णों को ही नहीं मिलेगा अपितु सभी धर्मों अथवा सम्प्रदायों के सामान्य वर्ग के उन लोगों को मिलेगा जो इस श्रेणी की पात्रता शर्तों का मानदंड रखते हों।
- यह आरक्षण धर्म, जाति, रंग अथवा किसी अन्य प्रकार के भेदभाव के आधार पर नहीं दिया गया है।

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 मामला

- इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम केंद्र सरकार (यूनियन ऑफ इंडिया) में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अलग से आरक्षण लागू करने को सही ठहराया था।
- वर्ष 1992 में पहली बार इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण सही नहीं है।
- संसद ने इस पर विचार किया और 77वां संविधान संशोधन लाया गया। इस संशोधन में कहा गया कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को यह अधिकार है कि वह पदोन्नति में भी आरक्षण दे सकती है। यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां से फैसला आया कि आरक्षण दिया जा सकता है लेकिन वरिष्ठता नहीं मिलेगी।
- इसके उपरांत 85वां संविधान संशोधन उसी संसद से पास हुआ और यह कहा गया कि कॉनसीक्वैंशियल सीनियॉरिटी भी दी जायेगी।
- इन्दिरा साहनी प्रकरण में उच्चतम न्यायालय की जजों वाली संविधानिक पीठ ने दिनांक 16.11.1992 को संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राजकीय संवाओं में पदोन्नति में आरक्षण को सही नहीं माना तथा यह आदेश दिया कि इन वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण केवल अगले 5 वर्ष तक ही यथावत रखा जाएगा।

World
Committed to Excellence
ROAD TO ADMIS

1. हाल ही में सुर्खियों में रही 'राष्ट्रीय आरोग्य निधि' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस बहुआयामी योजना के अंतर्गत यह प्रावधान किया जाएगा कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन्हें विशेष विरल लोगों के उपचार के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाए।
2. अधिकांश विरल लोग आनुवांशिक होते हैं।
3. हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, बच्चों में प्राथमिक प्रतिरक्षा की कमी आदि प्रचलित विरल रोग हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 2 (b) 1 और 2
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

2. हाल ही में चर्चा में रही 'पोलावरम परियोजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह एक बहु-उद्देशीय सिंचाई परियोजना है, जिसे गोदावरी नदी पर बनाया गया है।
2. इस परियोजना के अधीन सिंचाई, पनबिजली एवं पेयजल की सुविधा तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रों में मुहैया कराया जाना शामिल है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

3. हाल ही में सर्वोत्कृष्ट जल संसाधन परियोजना क्रियान्वयन की श्रेणी के अंतर्गत 'बेहतर योजना निर्माण, क्रियान्वयन और अनुश्रवण' के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया?

(a) तमिलनाडु (b) गुजरात
(c) राजस्थान (d) आंध्र प्रदेश

4. हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवात 'पाबुक' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने इसके लिए यलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया।
2. इस चक्रवात की उत्पत्ति थाइलैंड की खाड़ी व आस-पास के क्षेत्र में हुई।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

5. वर्तमान में 'भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)' के अध्यक्ष हैं-

(a) डॉ० अम्बीकेश सिंह राणावत
(b) डॉ० के० सिवान
(c) डॉ०ए०एस० किरण कुमार
(d) डॉ० राजेन्द्र पचौरी

6. हाल ही में चर्चा में रहे 'चंद्रयान-2' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह एक अन्वेषण अभियान है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने विकसित किया है।
2. इस अभियान को जीएसएलवी मार्क-3 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित करने की योजना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

7. हाल ही में केन्द्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ने को अनिवार्य करने की योजना बना रही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इससे कसूरवार व्यक्तियों को दुर्घटना के दृश्य से बचने और फिर डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने से रोका जा सकेगा।
2. ड्राइविंग लाइसेंस भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक महत्त्वपूर्ण और वैध पहचान पत्र है।
3. आधार अनिवार्य होने से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के जारी किए जाने पर रोक लगाई जा सकेगी

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 2 (b) 1 और 2
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

8. हाल ही में चर्चा में रहे 'सत्तर प्वॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है, जिससे राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
2. इसके अंतर्गत स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के 70 प्वॉइंट ग्रेडिंग को लाँच किया गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

9. हाल ही में केन्द्र सरकार ने पिछड़े सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में संवैधानिक संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
2. सवर्णों को दिया जाने वाला आरक्षण मौजूदा 50 फीसदी आरक्षण से अलग होगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में केन्द्र सरकार ने पिछड़े सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों पर आरक्षण के लिए वही आवेदन कर सकते है, जिनकी सालाना आय 8 लाख रूपए से

GS World Committed To Excellence

कम हो।

2. अनुच्छेद-15 (1) के अनुसार, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

नोट : 04 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d), 2(d), 3(d), 4(d), 5(d), 6(d), 7(d), 8(d) होगा।

GS World
Committed To Excellence